

11. शैक्षणिक योग्यता की जानकारी :-

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी का प्रतिक्षिप्त	विशेष
1	10 वीं				
2	12 वीं				
3	स्नातक				
4	स्नातकोत्तर				

12. प्रशिक्षण शुल्क की जानकारी :- राशि रु. दिनांक / /
 को बैंक ड्राफ्ट/एनईएफटी/आईएमपीएस/ बैंक का नाम.....
 स्थान..... पर नगद जमा कर दिया/दी हूँ। (पावती संलग्न करें)
13. आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, / नहीं.....
 यदि है तो विवरण.....
14. आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है / नहीं है.....

संलग्न :-

- बोर्ड(10+2)
- स्नातक
- स्नातकोत्तर
- अन्य डिप्लोमा/डिग्री
- पासपोर्ट साईज 2 फोटोग्राफ
- बैंक ड्राफ्ट/एनईएफटी/आईएमपीएस की छायाप्रति/पावती
- संस्था प्रमुख/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र

घोषणा पत्र

मैं शपथ पूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि उल्लेखित समस्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य है एवं तथ्य नहीं छिपाया गया है। भविष्य मेरे कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर उसका जिम्मेदार मैं स्वयं रहूगा/रहूंगी एवं केन्द्र द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान
 दिनांक:- / /

नाम
 मो.नं.

नियम एवं शर्तें

1. नामांकन फार्म सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, चौबे कॉलोनी, रायपुर से प्राप्त कर सकते हैं।
2. डिप्लोमा सत्र हेतु निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क 3000/- है।
3. प्रशिक्षण शुल्क की राशि आप **NEFT/ RTGS/ IMPS** के माध्यम से संघ के **SBI, GCET Branch** रायपुर के चालू खाता क्रमांक **33624532896, IFSC SBIN0002852** में जमा करना होगा। मो.नं. **9425231833**
4. प्रशिक्षण प्रारंभ होने पर प्रशिक्षणार्थियों को केन्द्र द्वारा दिये गये लिंक में जुड़ना होगा और प्रशिक्षणार्थियों स्वयं अपने ईमेल आई डी से जुड़ेंगे ताकि उपस्थिति लिया जा सके और प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का उपस्थिति पूरे सत्र के दौरान 67 प्रतिलिपि होने पर ही अंतिम परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी।
5. नामांकन फार्म में प्रशिक्षणार्थी द्वारा दिये गये ई मेल आई डी को ही मान्य किया जायेगा जिसमें आपको सभी जानकारी दिया जायेगा।
6. प्रशिक्षण के अन्तर्गत 10 सहकारी संस्थाओं का व्यवहारिक अध्ययन भ्रमण कर जानकारी केन्द्र द्वारा दिये गये प्रारूप में असाईमेन्ट/प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर प्रशिक्षणार्थी को निर्धारित समय सीमा में भेजना होगा। समय सीमा समाप्त होने के पश्चात भेजने पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. व्यावहारिक अध्ययन भ्रमण के आने जाने का खर्च स्वयं प्रशिक्षणार्थियों को वहन करना होगा।
8. अंगीकृत सोसायटी की जानकारी निर्धारित समय पर पी.डी.एफ फॉर्मेट में केन्द्र को भेजना होगा। निर्धारित समय के उपरांत भेजने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षणार्थी अपना आडियो Mute करके रखेंगे और विडियो आन रखना होगा। किसी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ही आडियो आन करने की अनुमति होगी।
10. आंतरिक एवं अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य हैं।
11. मौखिक परीक्षा आनलाईन होगा जिसमें सभी प्रशिक्षणार्थियों को सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
12. प्रशिक्षणार्थियों के पास एन्ड्राइड मोबाईल/हेन्ड सेट/कम्प्यूटर/लैपटॉप होना अनिवार्य है।
13. प्रशिक्षणार्थियों को स्वयं के व्हाट्सअप नंबर आवेदन फार्म में देना होना ताकि डिप्लोमा सत्र का व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जा सकेगा। जिसमें अध्यापन की सभी सूचना दी जायेगी।
14. प्रशिक्षणार्थी जो सहकारी संस्था में कार्यरत है उनको अपनी संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करना होगा तभी नामांकन स्वीकार किया जायेगा।
15. अध्यापन हेतु लिंक व्हाट्सअप के माध्यम से दिया जायेगा, जिसके लिए आपको सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर के प्र. व्याख्याता श्री पुरुषोत्तम सोनी (9303133335), श्री राजेश कुमार साहू (7879817829), श्री एस. के. पटेल (8770778010), श्री मोहन लाल दुबे (9329633236) का नंबर अपने एन्ड्राइड हैंडसेट के कान्टेक्ट सूची में सेव करना होगा।

नियम पालनार्थ

मैं उल्लेखित नियम 1 से 15 तक समस्त नियमों/शर्तों का पालन करते हुए प्रशिक्षण में सम्मिलित रहूंगा/रहूंगी। भविष्य मे कोई भी नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर उसका जिम्मेदार मैं स्वयं रहूंगा/रहूंगी एवं केन्द्र द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान
दिनांक:—..... / /

नाम
मो.न.
पता

